रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 191] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 26, 1972/भाद्र 4, 1894

No. 191] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 26, 1972/BHADRA 4, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 26th August 1972

SUBJECT.—*Dock strike in U.K.—Revalidation of import licences.*

No. 125-ITC(PN)/72.—It has been reported that shipment of goods from ports in U.K. has been delayed/affected following a dock strike in U.K. from 28th July, 1972.

2. The question of revalidation of import licences affected by the dock strike has been considered and it has been decided that the import licences which have expired in July, 1972 or are likely to expire in August, 1972, against which shipments could not be made due to dock strike in U.K. may be deemed to have been revalidated upto the 31st October, 1972.

3. In the case of licences issued under U.K. credit, extension in the validity period of licences will be limited upto the 31st October, 1972, or the terminal date applicable to such credits, whichever is earlier.

4. It will not be necessary for the licence holders to approach the licensing authorities for revalidation of licences under this Public Notice. The Customs authorities will, on the basis of this Public Notice, treat the licences as having been revalidated accordingly.

5. No grace period of 30 days will be allowed in respect of such revalidated licences.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1972

विषय.—यू० के० मे गोदी हड़ताल—आयात लाइसेंसों का पुनर्वैधीकरण

सं० 125-आई० टी० सी० (पी० एन०)/72.—यह सूचना मिली है कि यू० के० में 28 जुलाई, 1972 से गोदी हड़ताल के चलते यू० के० के बन्दरगाहों से माल का पोतलदान करने में देरी हुई है/उसपर प्रभाव पड़ा है।

2. गोदी हड़ताल से प्रभावित आयात लाइसेंसों के पुनर्वैधीकरण के प्रश्न पर विचार किया गया है और यह निश्चय किया गया है कि वे आयात लाइसेंस जो जुलाई, 1972 को समाप्त हो गए हैं या अगस्त, 1972 में समाप्त होने वाले हैं और यू०के० में गोदी हड़ताल के चलते उनके मद्दे पोतलदान नहीं किए जा सकें उन्हें 31 अक्तूबर 1972 तक पुनर्वैध किया गया समझा जाए।

3. यू०के० क्रेडिट के अंतर्गत जारी किए गए लाइसेंसों के मामले में लाइसेंसों की वैधता अवधि 31 अक्तूबर, 1972 तक या इस प्रकार के क्रेडिटों के लिए लागू होने वाली अंतिम अवधि तक—इनमें जो भी पहले हो, उसकी सीमा तक रहेगा।

4. इस सार्वजनिक सूचना के अनुसार लाइसेंस धारी को लाइसेंसों के पुनर्वैधीकरण के लिए लाइसेंस प्राधिकारियों के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। सीमाशुल्क प्राधिकारी इस सार्वजनिक सूचना के आधार पर इन लाइसेंसों को तदनुसार पुनर्वैध किया गया समझेंगे।

5. इस प्रकार के पुनर्वैध किए गए लाइसेंसों के संबंध में 30 दिनों की कृपा अवधि की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972